पत्र संख्या–15/डी0एल0ए0 समस्तीपुर (हायाघाट तटबंध)–92/2012–   पटना–15, दि0–

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

सं0 1156/रा0 डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर   दिनांक 25-04-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–जटमलपुर, परगना–बरैल थाना–वारिसनगर, थाना नं0–62/2 जिला–समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सोरमारहाट–हायाघाट तटबंध के 1.26 कि0मी0 से 15.40 कि0मी0 तक बाँध ऊँचीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम जटमलपुर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 0.80 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 2097, 2099, 2108, 2112, 2113 एवं पूर्ण खेसरा संख्या 2098, 2110, 2109 एवं 2111 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार हैः–

उत्तर :– पूर्ण खेसरा संख्या 2096 है।

पूरबः– खरसड़ नाला बाँध।

दक्षिणः– सीमा रेखा ग्राम बलुआहा।

पश्चिम :– अंश खेसरा सं0 2113, 2112, 2139, 2099, 2097 एवं पूर्ण खेसरा सं0 2107।

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 (यथा बिहार अधिनियम 11, सन् 1964 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा उनके स्टाफ इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियन्ता बाढ़ नियन्त्रण प्रमंडल दरभंगा के पदाधिकारी और उनके स्टाफों को प्राधिकृत करती है के वे भूमि पर प्रवेश कर इसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने सभी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की यह राय है कि उक्त भूमि का तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि धारा 5 अ0 के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल ~~की राय से~~ के आदेश से

ह0

सरकार के ~~उपसचिव~~ अवर

जिला भू–अर्जन पदा0 समस्तीपुर।   अपर समाहर्त्ता समस्तीपुर।   समाहर्त्ता समस्तीपुर।

ज्ञापांक - 1156 / डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना, दिनांक - 25 - 04 - 13

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को अधिसूचना के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू–अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें। समाहर्त्ता, समस्तीपुर / आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा

अनु0 :– यथोक्त।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक .... / डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को अधिसूचना के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

अनु0 :– यथोक्त

24/4/13

सरकार के सचिव